

THE DEPUTY CHAIRMAN :  
You have to be brief, because I have to get the National Commission for Women Bill moved and then we have the short-duration Discussion at 4 p.m.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI:  
When the State is reeling under floods, the Chief Minister, the other Ministers—the entire contingent—are roaming here, in Delhi, to participate in the birthday celebrations of Mr. Rajiv Gandhi. I would like to appeal to the Government to see that some positive help is rendered and rescue operations are undertaken in the flood-affected areas of Andhra Pradesh. Thank you.

SHRI MENTAY PADMANABHAM (Andhra Pradesh) : Madam, I associate myself with the Special Mention made by Dr. Yelamanchili Sivaji.

#### THE NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN BILL, 1990.

कथन मंत्रालय में महिला एवं  
बाल विकास उपमंत्री (श्रीमती ऊषा सिंह) :  
महोदया मे प्रस्ताव करती हूँ :

कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन करने और उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक, पर, जिस रूप में वह लोकसभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाये।

महोदया, सबसे पहले तो मैं अपना बहाना श्रीमती जयन्ती नटराजन को धन्यवाद देना चाहती हूँ। क्योंकि महिला आयोग विधेयक के गठन की उपयोगिता को समझ रही हैं। सदन में चाहे किसी ओर कोई बैठा है, सबका कंसर्न इस विषय से बहुत रहा है, इस विधेयक को लाने के लिए सभी का चिन्ता रहा है, चाहे वह किसी भी पार्टी में, किसी भी तरफ बैठे हो पिछले 10 वर्षों से इस पर लगातार प्रयास होता रहा और आज लोकसभा से सबल बहुमत के द्वारा पारित होकर यह सदन में, राज्य में आया है यह और भी गर्व की बात है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (मध्य प्रदेश) :  
प्रबल बहुमत सर्वसम्मति नहीं हुआ ? ...  
(व्यवधान) प्रबल बहुमत था तो सर्वसम्मति नहीं हुआ ?

श्रीमती ऊषा सिंह : वहां तो सबों की सहमति मिली थी, यहां भी मिलेगी...

श्री पी० शिवशंकर : (गुजरात) जब महिलाएं बोलती हैं तो आप रोकटोक क्यों करते हैं ? ...

श्रीमती ऊषा सिंह : मैं तो सबसे पहले इस बात का भी गौरव अनुभव करती हूँ कि इस सदन की मर्यादा रही है मैं तो इस बात को भी कहना चाहूंगी कि आज आप सभापति हैं कि आज आप कुर्सी पर बैठी हुई हैं और यह विधेयक आ रहा है ...

उपसभापति : आप आगे आकर बोलना चाहेंगी ? माइक की आवाज नहीं आ रही है ?

श्रीमती ऊषा सिंह : उपसभापति महोदया महिलाओं के संबंध में व्यापक परिवेश में विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया है। राज्य महिला आयोग विधेयक लोकसभा में सबल बहुमत से पारित हुआ।

महोदया किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 40 वर्षों के बाद भी महिलाओं की स्थिति एक महत्वपूर्ण मसला रहा है। एक ओर कुछ निश्चयात्मक विकास हुआ, फिर भी कई ऐसे नकारात्मक संकेत हैं जो सरकार के लिए चिन्ता के विषय बने हुए हैं।

महोदया, बालिकाओं और विधवाओं की अधिक मृत्यु दर उनके घटिया शिक्षा स्तर और उनके अलाभकारी रोजगार प्राप्त करने के कारण रही है। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें वंचना और भेदभाव है।

कुसारी सरोज खाण्डे (महाराष्ट्र) :  
मंत्री जी इस आयोग के बारे में कह रही हैं

[कुमारी सरोज खापड़]

और सारे उधर के सदस्य लोग बोल रहे हैं।  
मंत्री जी पहली बार इस सदन में बोल रही हैं।

4.00 P.M.

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) :  
आप लोग स्वागत करिये यह पहली बार बोल रही हैं। (व्यवधान)

कुमारी सरोज खापड़ : आप धबराइये मत, बोलिए। (व्यवधान)

डा० रत्नाकरपाण्डेय : आप निर्भय होकर बोलिए। (व्यवधान)

श्रीमती ऊषा सिंह : मैं निर्भय हो कर ही बोल रही हूँ। आपके सहयोग का उम्मीद करती हूँ। हमारी बहनें तो सहयोग कर ही रही हैं हमारे भाई भी सहयोग कर करें। हमारी बड़ी बहन मिसेज आल्वा का इस का इसमें बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उन को भी धन्यवाद दूंगी। लेकिन आपका सहयोग चाहिए इसलिए मैं विशेष रूप से आपसे निवेदन करूंगी।

राजगार के अक्सरों की कभी, निम्न मजदूरों से असत महिलाएं और हैं उन्हें स्थायी रोजगार भी नहीं मिल पाता। राष्ट्रीय मोर्चा के घोषणा पत्र में प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में महिलाओं के प्रति भेदभाव रोकने, उनकी शिकायतें और कठिनाइयों को दूर करने के लिए सभी क्षेत्रों में महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन का वादा किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दिनांक 5-2-90 तथा पुनः 28-7-90 को सांसदों राज्यों के सम्बन्धित मंत्रियों और विभिन्न महिला संगठनों से विचार विमर्श करने के पश्चात् राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रारूप तैयार किया है। महिला आंदोलन से एक लम्बे अरसे से जुड़ी हुई महिलाओं ने भी इसमें भाग लिया। विचार विमर्श में काफी रिक्मेंडेशन आये थे जिसके आधार पर हमने सरकारी असेडमेंट लोक सभा के पटल पर रखे थे जिसमें काफी लोगों का सहयोग मिला। गैर सरकारी असेडमेंट जितने दिये गये थे वे वापस लिये गये। इसके आधार पर महिलाओं को समानता और सामाजिक न्याय, संरक्षण के संवैधानिक उपबंधों के बावजूद पिता और पति के घर में और सामाजिक कार्यस्थलों में

शोषण, और दमन के मामले आते रहे हैं। महिलाओं के लिए विशेष श्रम कानून उपबंध रखे गये हैं। महिलाओं के लिए विशेष कार्य कुछ कानूनी और प्रशासनिक उपाय पहले भी किये गये लेकिन फिर भी महिलाओं पर अत्याचार होते ही रहे हैं। राष्ट्रीय आयोग की स्थापना सरकार के वादे के अनुरूप है। आयोग का मुख्य कार्य महिलाओं के लिए उपबन्ध कराना, संवैधानिक और विभिन्न संरक्षणों से सम्बन्धित मामलों का अध्ययन करना, मौजूदा कानून का पुनरीक्षण कर जहां आवश्यक हो संशोधित करके देना है।

मैडम चेयरपर्सन, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस पर विचारविमर्श होना है और साथ ही साथ जिस तरह से पहले सांसदों का प्रबल समर्थन मिलता रहा है मैं चाहूंगी गैर सरकारी जितने संशोधन आये हैं वे वापस ले लिए जायें क्योंकि जो महत्वपूर्ण संशोधन उन्हें सरकारी स्तर पर पहले ही ले आया गया है आज सदन में जो विचार विमर्श होगा, वे सभी सुझाव महत्वपूर्ण होंगे।

*The question was proposed.*

THE DEPUTY CHAIRMAN :  
Now we take up the Short Duration Discussion.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu) : Madam, will you take up the National Commission on Women Bill after this or tomorrow?

THE DEPUTY CHAIRMAN :  
It will be tomorrow. Before the Short Duration Discussion I have to make an announcement.

#### ANNOUNCEMENT REGARDING ARREST OF A MEMBER

THE DEPUTY CHAIRMAN : I have to inform Members that the following communication dated the 18th August, 1990, addressed to hon. Chairman, Rajya Sabha, has been received from the District Magistrate, Etawah :